प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक, 21 अगस्त, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-60 वन विभाग के वचनबद्ध व्यय के अन्तर्गत आय-आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 41138.36 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-ब-03/21-5(1)/2017-18 दिनांक 01.08.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त उक्त कार्यालय ज्ञाप में निहित निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं0-60-वन एवं वन्य जीव विभाग के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार रू0 41138.36 (रू0 चार अरब ग्यारह करोड़ अडतीस लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता। अतः जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट/ मैनुअल और फाइनन्शियल हैण्ड बुक के नियम अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन का वर्तमान आदेशानुसार शासन के अथवा सक्षम अधिकारियों की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जायेगा।

2- स्वीकृति की जा रही धनराशि केवल चालू योजनाओं के लिए है। इसका व्यय नयी मदों/सेवाओं पर कदापि न किया जाय।

3- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं इस सम्बन्ध में समय-सयम पर जारी समस्त वित्तीय नियमो/शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः स्वीकृति धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-सी.ए.-1191/दस-2009-मित-एक/2007 दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर अन्य समस्त जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5- यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि व्यय को निर्धारिचत मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये किये जाने हेतु एक निश्चित योजनावार समयबद्ध सारणी बनायी जायेगी तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।

6- अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग मासिक आधार पर अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाये और स्वीकृतियां/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जायेगा।

7- उक्त के अतिरिक्त इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

8- योजनान्तर्गत कार्यो हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ के उक्त पत्र संख्या-ब-03/21-5(1)/2017-18 दिनांक 01.08.2017 के में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों एवं निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे है। अतः इसका अक्षरशः अनुपालन किया जाना आवश्यक है ।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-1460(1)/चौदह-4-2017-11 (बजट)/2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/दितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार द्वितीय उ0प्र0 केन्द्रिय भवन, अलीगंज, लखनऊं
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
8. वन अनुभाग-1/2/3/5।
9. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(हलधर प्रसाद मिश्रा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in